न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 29 / 2021

1 मातादीन उम्र 57 साल पुत्र भौलाराम जाति मेघवंशी निवासी सीथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांट

बनाम

1 सकूर पुत्र सरफु
2 अबरार पुत्र सरफु
3 उम्मेद पुत्र सरफु
जाति समस्त मुसलमान निवासी सीथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं पि नं. 333021।
4 बलकेश पुत्री सरफु पत्नी रमजान
5 जरिना पुत्री सरफु पत्नी रफीक
जति समस्त मुसलमान निवासीगण कांट तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं पि नं. 331025
6 जुबैदा पुत्री सरफु पत्नी फारूक निर्वाण जाति मुसलमान निवासी रेल्वे फाटक बाकरा मोड़ के पास झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं पिन नं. 333001
7 बाबू पुत्र कालू जाति मुसलमान निवासी सीथल हॉल निवासी बस स्टेण्ड पोषाणा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं पि.नं. 333022
8 रफीक पुत्र मुंशी
9 फारूक पुत्र मुंशी जाति मुसलमान निवासी सीथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं पि नं. 333021।
9/1 मु. जायदा पुत्री मुंशी पत्नी सराजु जाति मुसलमान निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं पि सं. 333514 (दौराने अपील मृतक)
9/1/1 सिराजूदीन पुत्री फजरूदीन निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
9/1/2 सनाज पुत्री मु. जायदा उर्फ जमीला पत्नी गुलफाम निवासी बाय तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

9/1/3 नाजरा पुत्री मु. जायदा उर्फ जमीला पत्नी मौसिम निवासी फतेहपुर जिला सीकर।
9/1/4 शबाना पुत्री मु. जायदा उर्फ जमीला पत्नी सदाम निवासी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
9/1/5 शाहरूख पुत्र सिराजुदीन निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं
9/1/6 मदीना पत्नी रमजान निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं
10 रजाक पुत्र शोकत जाति मुसलमान निवासी सीथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.। दौराने अपील मृतक
10/1 सलीम पुत्र रज्जाक
10/2 शकील पुत्र रज्जाक
10/3 खैरून पुत्री रज्जाक
10/4 रूबीना पुत्र रज्जाक जाति मुसलमान निवासी सीथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
10/5 रफीक पुत्र मुमताज जाति मुसलमान निवासी चनाना तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
10/6 जेबुना पुत्री रफीक पत्नी सिकन्दर जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 4 बाकरा रोड़ रेल्वे फाटक के पास झुन्झुनूं।
10/7 नसीम पुत्री रफीक पत्नी इमरान जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 4 बाकरा रोड़ रेल्वे फाटक के पास झुन्झुनूं।
10/8 मोमीना पुत्री रफीक जाति मुसलमान निवासी चनाना तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
11 मुस्ताक पुत्र शोकत
12 सायरा बानो पत्नी शोकत
समस्त जाति मुसलमान निवासी सीथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.। (दौराने मृतक)
12/1 अस्मत पत्नी फारूक जाति मुसलमान निवासी रेगरों का मोहल्ला चनाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
12/2 उल्फत पत्नी रफीक जाति मुसलमान निवास रेगरों का मोहल्ला चनाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
12/3 रहमत पत्नी ईसब जाति मुसलमान निवासी माण्डासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

13 सेन्टर बैंक ऑफ इंडिया बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबंधक।
14 भूमि धारक जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ. धारा 225 आर.टी.एक्ट. 1955 खिलाफ
निर्णय बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी
जिला झुन्झुनूं मुकदमा उनवानी मातादीन बनाम सकूर
वगै. मु.नं. 370/2016 अ. धारा 251 ए आर.टी.एक्ट.
1955 आदेश दिनांक 17.03.2021

उपस्थिति :
1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री धीरज बोयल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 24.2.26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 370/2016 में पारित निर्णय दिनांक 17.03.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भूमि खसरा नम्बर 1047, 1061, 1340, 1062, 1412 वाके ग्राम सीथल का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्ष ने उपस्थित प्रकरण सहमति से रिमांड करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। उभयपक्ष द्वारा वरवक्त बहस प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमांड करने पर सहमति व्यक्त की है।

उपरोक्त विवेचन एवं उभयपक्ष की सहमति के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रक्रिया अनुसार आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार संयोजित कर, मृत पक्षकार के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर जवाब प्राप्त कर उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.03.2026 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24.2.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर